न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मि0नं0 724 / दावा / 2016
(मि0नं0 1162 / दावा / 2015)
दायर 03 / 12 / 2015

उनवान

प्रेमबिहारी पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी कालारेवा तह0 खानपुर
– वादी

बनाम

1. कंचनबाई पुत्री स्व0 मांगीलाल जाति मीणा निवासी ठीकरिया हाल मुकाम भीमखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड़
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट – वादी

निर्णय

दिनांक 07/11/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद धारा 88, 89, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ठीकरिया तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 49 की ख0नं0 166 रकबा 4.08 बीघा आराजी प्रति0नं0 1 कंचनबाई के नाम दर्ज है। पूर्व में यह आराजी प्रति0नं0 1 के पिता मांगीलाल पुत्र भंवरिया के नाम दर्ज थी, जिसकी मृत्यु आज से करीब 11 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रति0नं0 1 के पिता मांगीलाल की मृत्यु होने के बाद भी इसका फौती इंतकाल प्रति0नं0 1 के नाम दर्ज नहीं हुआ था और प्रतिवादी नं0 1 को रूपयों की आवश्यकता होने से दिनांक 13.04.2012 को वादी से अपने पिता के खाते की आराजी के बैचान की रकम 360000/–रू0 प्राप्त कर इकरारनामा वादी के पक्ष में लिखवाया गया और उसमें प्रतिवादी द्वारा यह इकरार किया गया कि आज दिनांक को मैंने बैचान की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा केता वादी को संम्भला दिया है और इस बैचान बावत् मेरे वारीसान को कोई ऐतराज नहीं होगा और इस आराजी पर अभी तक मेरे पिता का नाम चला आ रहा है, जैसे ही मेरे नाम फौती इंतकाल दर्ज हो जायेगा मैं केता वादी के नाम बैनामा की रजिस्ट्री करवा दूँगी। उक्त इकरारनामें के आधार पर वादी खरीद शुदा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। अब आराजी प्रतिवादी के खाते दर्ज हो चुकी है और प्रतिवादी के मन में बदयान्ति आ गई है और यह किसी अन्य व्यक्ति को इस आराजी को बैचान करने पर तत्पर है। यदि इसने

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

सी क्रय शुदा आराजी को बेचान कर दिया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं होगी। ऐसे में प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीया द्वारा आराजी अन्य व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देने से वाद कारण दिनांक 30.11.2015 को उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे और वादी को वादग्रस्त आराजी ख0नं0 166 रकबा 4.08 बीघा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। साथ ही प्रतिवादीया को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह इस आराजी को कहीं रहन, बेचान, अंतरण नहीं करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को दिलायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से श्री इंदरलाल गुप्ता अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाबदावा का अवसर चाहा गया। प्रति0नं0 2 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पर्याप्त अवसर के बाद भी अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश नहीं किया तथा दिनांक 04.10.2017 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने पैरवी से इंकार किया तथा प्रति0नं0 1 के भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रति0नं0 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी प्रेमबिहारी मीणा, गवाह मदनलाल नायक, धनराज भील के बयान दर्ज कराये तथा नकल जमाबंदी ग्राम ठीकरिया सं0 2066–69, सं0 2070–73 एवं इकरारनामा दि0 13.04.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम ठीकरिया ख0नं0 166 की 4.08 बीघा आराजी प्रति0नं0 1 कंचनबाई के खाते की है। पूर्व में यह प्रति0नं0 1 के पिता मांगीलाल के नाम दर्ज थी, जिसकी मृत्यु करीब 11 वर्ष पूर्व हो चुकी थी किन्तु मांगीलाल का फौती इंतकाल प्रति0नं0 1 के नाम दर्ज नहीं हुआ था और प्रतिवादी नं0 1 को रूपयों की आवश्यकता होने से दिनांक 13.04.2012 को वादी से अपने पिता के खाते की आराजी के बेचान की रकम 360000/–रू0 प्राप्त कर इकरारनामा वादी के पक्ष में लिखवाया गया और उसमें प्रतिवादी द्वारा यह इकरार किया गया कि आज दिनांक को मैंने बेचान की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा क्रेता वादी को संम्भला दिया है और इस बेचान बाबत् मेरे वारीसान को कोई ऐतराज नहीं होगा और यह आराजी जैसे ही मेरे नाम दर्ज हो जायेगी। मैं क्रेता वादी के नाम बैचान की रजिस्ट्री करवा दूँगी। उक्त इकरारनामें के आधार पर वादी खरीद शुदा आराजी का खातेदार हो गया है। अब आराजी प्रतिवादी के खाते दर्ज हो चुकी है और प्रतिवादी के मन में बदयान्ति आ गई है और यह किसी अन्य व्यक्ति को इस आराजी को बेचान करने पर आमादा है। यदि यह अपने मन्सूबे में कामयाब हो गयी तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में संम्भव नहीं होगी। वादी ने राजस्व रेकार्ड एवं इकरारनामा की नकल पेश की है तथा स्वंय वादी एवं गवाहान मदनलाल नायक, धनराज भील के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। वहीं प्रति0नं0 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। अतः हमारा दावा डिक्री किया जाकर वादी को ग्राम ठीकरिया की ख0नं0 166 रकबा 4.

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

08 बीघा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह इस आराजी को कहीं रहन, वैचान, अंतरण नहीं करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी ने दिनांक 13.04.2012 को प्रति0नं0 1 कंचनबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी ठीकरिया हा0मु0 भीमखेड़ा द्वारा वादी प्रेमबिहारी पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी कालारेवा तह0 खानपुर के पक्ष में 100/–रू0 के स्टॉम्प पर अंकित इकरारनामा के आधार पर ग्राम ठीकरिया की ख0नं0 166 रकवा 4.08 बीघा का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा चाहने का यह वाद न्यायालय में पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। जब प्रस्तुत दस्तावेज के आधार वादी के कोई अधिकार सृजित नहीं होते तो दिनांक 30.11.2015 को उत्पन्न वाद कारण इस न्यायालय में वाद पेश करने का आधार नहीं हो सकता। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः वाद, वादी चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेने अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: